जमानत आवेदन संख्या–193 / 2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 09.04.2026**

1. आनन्द कुमार उर्फ चिन्टु पुत्र राजेश कुमार .....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार..... विपक्षी

आवेदक की ओर से : श्री रतन कुमार झा, विद्वान अधिवक्ता
विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

09.04.2026 1. काराधीन आवेदक / अभियुक्त **आनन्द कुमार उर्फ चिन्टु,** जो दिनांक 16.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, कि ओर से धारा–483 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत लहेरियासराय थाना कांड संख्या–751 / 2025 अन्तर्गत धारा–126(2),115(2),118(1),109,303(2), 352,3(5) बी0एन0एस0, जो विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित हैं, में नियमित जमानत आवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहॉ दाखिल किया गया, जिसे सुनवाई हेतु इस न्यायालय में हस्तानांतरण कर भेजा गया।

2. उक्त आवेदन पर आवेदक / अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

3. अभियोजन वाद का सारांश सूचक के अनुसार यह है कि दिनांक 21.12.2025 को वह एक सैलून का उद्घाटन किए। उद्घाटन के समय करीब शाम के 6 बजे दो–तीन अज्ञात व्यक्ति आए और आकर सूचक के साथ मारपीट एवं लूट–पाट करने लगे, जिसमें ग्राहक के द्वारा पहचान किया गया जिसका नाम राजन उर्फ राजा, प्रकाश, चिंटू है। सभी के हाथानों में लोहे का रॉड एवं डाईगर था। डाईगर एवं रॉड से सूचक पर जानलेवा हमला कर दिया जिससे उसका सर फट गया और वह वेहोश होकर गिर गया तो उसे ईलाज हेतु डी0एम0सी0एच0 दरभंगा में भर्ती कराया गया।

4. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक / अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक / अभियुक्त का कोई जमानत आवेदन ना तो उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है और ना ही कोई जमानत आवेदन कहीं लंबित है। आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध एक कांड का आपराधिक इतिहास है जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप गलत एवं आधारहीन है एवं बनावटी है। यह कहना गलत है कि आवेदक सूचक के साथ मारपीट किया। प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक दिनांक 16.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है और उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है तथा न्यायालय के संतुष्टि पर बंध पत्र देने को तैयार है। अतः आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाए।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

6. अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि इस काण्ड में धारा 126(2),115(2),118(1),109,303(2),352,3(5) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 04 में वादी का बयान, कंडिका 5, 6 एवं 7 में साक्षियों का बयान है जिसमें प्राथमिकी के घटना का समर्थन किया। कांड दैनिकी के साथ संलग्न जख्म

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 09.04.2026**

प्रतिवेदन जिसमें सूचक के एक जख्म 1. A lacerated would of size 3.5cm x 0.5cm x 0.5cm over right parietal region of scalp अंकित है जिसकी प्रकति साधारण (Simple) बतायी गयी है, परन्तु सिर पर जख्म कारित किया गया है तथा सिर शरीर का मार्मिक भाग(Vital part) है। आवेदन की कंडिका 3 के अनुसार आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध एक काण्ड का आपराधिक इतिहास है। अतः आवेदक / अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपराध की गंभीरता को देखते हुए, मैं आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना उचित नहीं समझता हूँ। अतः आवेदक / अभियुक्त **आनन्द कुमार उर्फ चिन्टु,**का जमानत **अस्वीकृत** किया जाता है। आवेदक अभियुक्त का कारावधि 3 माह पूर्ण होने के उपरान्त या आरोप गठन के पश्चात् जो भी पहले हो, पुनः जमानत की प्रार्थना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित
ह0 / –
(उपेन्द्र कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम,
दरभंगा

Date of Judgment/Order	09-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	09-04-2026
Uploading Date	13-04-2026
Uploaded by	Abhay Kumar(steno)